

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, भोपाल।

क्रमांक

भोपाल, दिनांक /08/2016

प्रति,

समस्त मुख्य अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
परिक्षेत्र

विषय:-पुलों के पहुंच मार्ग क्षतिग्रस्त होने के संबंध में।

प्रायः यह देखा गया है कि जहा भी पुलों के पहुंच मार्ग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उनके मरम्मत हेतु जिले का लोक निर्माण विभाग संभाग एवं सेतु संभाग द्वारा मरम्मत का कोई निर्णय नहीं लिया जाता है कि क्षतिग्रस्त पहुंच मार्ग का निर्माण किसके द्वारा किया जाय। जिससे क्षतिग्रस्त पहुंच मार्ग का भाग काफी समय तक क्षतिग्रस्त अवस्था में रहता है। जिससे जनसामान्य को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

अतः इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि ऐसी स्थिति में मुख्य अभियन्ता परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा यह निर्णय लिया जावेगा कि पुल के पहुंच मार्ग में हुई क्षति के मरम्मत किसके द्वारा की जावेगी। वह निर्णय अंतिम होगा तदानुसार उस संभाग द्वारा सुधार किया जावेगा।

(चन्द्र प्रकाश अग्रवाल)


सचिव

मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग


भोपाल, दिनांक 22/08/2016

पृ.क्रमांक 4649/डी/16/19/डी
प्रतिलिपि:-

- 1- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग भवन मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- समस्त अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग मंडल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- समस्त कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


सचिव
22/08/16

मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग



R2846
30/8/16

CE 12
24/8/16

29-8-16

30/8/16

29/8/16

shankar